



Address :

4th Floor Block A PICUP Bhawan,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010

Phone No.: +91-522-2720236, 2720238

Email: info[at]investup[dot]org[dot]in

Website - <https://invest.up.gov.in/>



उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018

प्रमुख बिन्दु

- मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल के मालिक को 100% की दर से एसजीएसटी प्रतिपूर्ति।
- अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी फिल्मों के लिए कुल लागत का 50% और हिंदी फिल्मों के लिए कुल लागत का अधिकतम 25% सब्सिडी।
- उत्तर प्रदेश में अपने कुल शूटिंग दिवसों के कम से कम आधे समय के लिए शूट की गई फिल्मों के लिए रु. 1 करोड़ की सब्सिडी।
- जिन फिल्मों के लिए इसके कुल शूटिंग दिवसों का दो-तिहाई उत्तर प्रदेश में शूट हुआ है, वे रु. 2 करोड़ की अधिकतम सीमा तक सब्सिडी के पात्र हैं।
- एक बार, एक फिल्म निर्माता इस फिल्म नीति के अधीन राज्य में फिल्म बनाने के आधार पर सब्सिडी की राशि का लाभ उठाता है, तो फिल्म निर्माता की बाद की फिल्मों के लिए निम्नलिखित सब्सिडी उपलब्ध होगी:

फिल्म विवरण	फिल्म शूटिंग में राज्य की स्थिति	अधिकतम अनुदान की राशि
राज्य में दूसरी फिल्म:	फिल्म की शूटिंग की आधी अवधि पर अनुदान।	रु. 1,25,00,000
	राज्य में फिल्म की शूटिंग अवधि पर अनुदान।	रु. 2,25,00,000
राज्य में तीसरी फिल्म तथा उसके बाद:	राज्य में फिल्म की शूटिंग की आधी अवधि पर अनुदान।	रु. 1,25,00,000
	राज्य में फिल्म की शूटिंग अवधि अनुदान।	रु. 2,50,00,000

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों के निर्माता/निर्देशकों द्वारा राज्य में निर्मित फिल्मों के लिए अनुदान, जिन्हें फिल्म नीति के तहत पहले अनुदान प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे: -

फिल्म विवरण	फिल्म शूटिंग में राज्य की स्थिति	अधिकतम अनुदान की राशि
राज्य में दूसरी फिल्म:	फिल्म की शूटिंग की आधी अवधि पर अनुदान।	रु. 1,75,00,000
	राज्य में फिल्म की शूटिंग अवधि पर अनुदान।	रु. 2,75,00,000
राज्य में तीसरी फिल्म तथा उसके बाद:	राज्य में फिल्म की शूटिंग की आधी अवधि पर अनुदान।	रु. 1,25,00,000
	राज्य में फिल्म की शूटिंग अवधि अनुदान।	रु. 3,25,00,000



- यूपी से कम से कम 5 कलाकारों को कास्ट करने के लिए अधिकतम 25,00,000 रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी
- यदि सभी कलाकार यूपी के हैं तो अधिकतम 50,00,000 रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी
- यदि कोई फिल्म निर्माता, राज्य में फिल्म की शूटिंग और प्रक्रिया करता है, तो प्रसंस्करण लागत का 50% या 50,00,000 रुपये, जो भी कम हो, फिल्म के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।
- यदि कोई निवेशक किसी भी बड़े शहर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा को छोड़कर) में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करता है, तो उसकी लागत का 50% या अधिकतम 50 लाख रुपये, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा।

नोडल एजेंसी: फिल्म बंधु (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग)